<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

नं. एफ.2(2)2017/एमसी/डीडीए/208 दिनांक: 04.12.2017

विषय: <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त।</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की राज निवास, दिल्ली में दिनांक 20 नवंबर, 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्राप्त करें। कार्यवृत्त में किसी प्रकार के संशोधन यदि हो, को तीन दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाए।

(डी.सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

<u>उपाध्यक्ष</u>

1. श्री अनिल बैजल
   उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

2. श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

3. श्री के विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. डॉ महेश कुमार
   अभियंता सदस्य दि.वि.प्रा.
5. श्री मनोज कुमार
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
6. श्री वी.के. त्रिपाठी
   सचिव सदस्य, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड
7. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं
   नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

8. श्री सोमनाथ भारती, विधायक

9. श्री एस.के. बग्गा, विधायक

10. श्री ओ पी शर्मा, विधायक

11. श्रीमती वीना विरमानी
    निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
12. श्रीमती भावना मलिक
    निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>विशिष्ठ आमंत्रिति</u>

1. श्री अंशु प्रकाश
   मुख्य सचिव, जी.एन.सी.टी.डी.
2. श्री एस एन सहाय
   प्रधान सचिव (वित्त) पीएनसीटीडी

3. श्रीमती रेणु शर्मा
   प्रधान सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी
4. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव

5. श्री ए अंबारसु
   सचिव (एल एवं बी), जीएनसीटीडी
6. श्री के.के जोड्डर
   मुख्य योजनाकार, टीसीपीओ
7. डॉ. पुनीत कुमार गोयल
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

8 डॉ. रनवीर सिंह
  आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
9. श्री मधुप व्यास
  आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

10. श्री राजीव वर्मा
    प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन एवं एलपी), दिविप्रा

11. श्री जेपी अग्रवाल

प्रधान आयुक्त (आवास, प्रणाली एवं पीएमएवाई) दि.वि.प्रा.

12. श्री श्रीपाल

मुख्य आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:</u>

1. श्रीमती स्वाति शर्मा

उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

2. श्री आर एन शर्मा

उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

3. श्री रवि धवन

उप राज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव

4. श्री अनूप ठाकुर

उप राज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:</u>

मंत्री (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय, भारत सरकार के निजी सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की राज निवास, दिल्ली में दिनांक 20 नवंबर, 2017 को 3.00 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल

उप राज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1. श्री के विनायक राव

वित्त सदस्य, दिविप्रा

2. डॉ महेश कुमार

अभियंता सदस्य, दिविप्रा

3. श्री मनोज कुमार

अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

4. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली

5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक

6. श्री एस के बग्गा, विधायक

7. श्री ओपी शर्मा, विधायक

8. श्रीमती वीना विरमानी

निगम पार्षद, अली दिल्ली नगर निगम

9. श्रीमती भावना मलिक

निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशेष आमंत्रिति</u>

1. श्री मनोज परीदा
   प्रधान सचिव (होम) जीएनसीटीडी

2. श्रीमती रेणु शर्मा
   प्रधान सचिव (यूडी) जीएनसीटीडी

3. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव
4. श्री पुनीत गोयल आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

5. श्री राजीव वर्मा
   मुख्य आयुक्त (एलडी, एलएम एवं एलपी) दिविप्रा

6. श्री ए. अंबारसु
   सचिव (एल एवं बी), जीएनसीटीडी

7. श्री मधुप व्यास
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

8. श्री जेपी अग्रवाल
   मुख्य आयुक्त (आवास, सीडब्ल्यूजी, सिस्टम एवं पीएमएवाई), दिविप्रा

9. श्री श्रीपाल
   मुख्य आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्याकंन दि.वि.प्रा.)

10. श्री के के जोड्डर
    मुख्य आयोजक, नगर एवं ग्राम योजना संगठन

11. श्री आर एस मीणा
    अपर आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उप राज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

2. श्री रवि धवन
   उप राज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दिविप्रा ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 50/2017</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की राज निवास में दिनांक 12.09.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

फाइल 2(2)2017/एमसी/डीडीए

i) विस्तृत चर्चा के बाद, प्राधिकरण की दिनांक 12.09.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 37/2017 के लिए प्रस्तावित संशोधन पर सहमति नहीं बन पाई। प्राधिकरण की दिनांक 12.09.2017 को आयोजित बैठक की एजेंडा मद सं. 37/2017 के लिए अनुमोदित कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अनुमोदित कार्यवृत्त को विचारार्थ तथा अंतिम अधिसूचना के प्रकाशनार्थ हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

ii) प्राधिकरण की दिनांक 12.09.2017 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 40/2017 के लिए प्रस्तावित संशोधन पर सहमति बनी और मद के लिए संशोधित कार्यवृत्त को निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए:-

> '' विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को एजेंडा मद सं. 37/2017 में लिए गए निर्णय के अनसुार अनुमति प्रभारों के संबंध में विकल्प 2 के साथ अनुमोदन दिया गया बशर्ते विधि के अधीन यथा लागू नियम के अनुसार विनियामक निकायों/ सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदन लिया गया हो''।

iii) प्राधिकरण की दिनांक 12.09.2017 को आयोजित बैठक के शेष यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मद संख्या 51/2017</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 12.09.2017 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ. 2(3)2017/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण के सदस्यों ने प्राधिकरण की दिनांक 12.09.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

i) श्री सोमनाथ भारती ने इच्छा व्यक्त की कि दि.वि.प्रा. को हौज खास गॉव में प्रतिबंधित वन, से एक वैकल्पिक रोड के निर्माण की अनुमति हेतु वन विभाग, जीएनसीटीडी के साथ एक बैठक करनी चाहिए।

ii) श्री सोमनाथ भारती ने बताया कि यद्यपि एक जोहार (तालाब) बेगमपुर गाँव में है, लेकिन दिविप्रा और द.दि.न.नि. ने सूचित किया है कि बेगमपुर गाव में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है।

iii) श्री ओपी शर्मा ने इच्छा व्यक्त की कि मार्गाधिकार से अर्थात विश्वास नगर, शान्ति स्वरूप भटनागर मार्ग, 60 फीट चोड़े रोड से तीन झुग्गी क्लस्टरों को हटाया जाए तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र में चित्र विहार के व्यावसायिक केंद्र की साइट पर कार्य में तेजी लायी जाए।

iv) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि दिविप्रा अतिक्रमण की गई भूमि की सूची अपनी बेवसाइट पर अपडेट करे। दिविप्रा को भविष्य में होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए और चिन्हित जेजे क्लस्टरों के वास्तविक पात्र निवासी ही पुनर्वास एवं पुन: स्थापन परियोजनाओं के लाभार्थी होने चाहिए।

v) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि यद्यपि यह स्पष्ट है कि सफदरगंज एन्क्लेव पर अनधिकृत निर्माण एक ऐसी भूमि पर हुआ है, जो एक कब्रिस्तान था। फिर भी, दिविप्रा द्वारा कई अनुस्मारक भेजने के बावजूद, द.दि.न.नि. ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

vii) श्रीमती वीना विरमानी ने कहा कि दि.वि.प्रा., स्थानीय निकायों को भूमि प्रदान करने के बजाय, अपनी भूमि पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निकाय इनको समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं।

viii) श्रीमती वीना विरमानी ने कहा कि कीर्ति नगर में स्वथाने पुनर्वास में तेजी लायी जाए क्योंकि सर्वेक्षण और योजना पहले ही पूरी कर ली गयी है।

ix) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि बिल्डर लॉबी हरसुख पार्क, सफदरगंज एन्क्लेव से सटे दिविप्रा की खाली पड़ी भूमि का उपयोग गलत ढंग से कर रहे हैं।

x) श्री विजेंदर गुप्ता ने इच्छा व्यक्त की कि रामलीलाओ में स्टालों को लगाने के लिए क्षेत्र को बढ़ाया जाए।

xi) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि "उत्सव ग्राउण्ड"हेतु स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। इस स्थानों पर जीरो वेस्ट सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए ये सभी मुद्दों की जांच दिविप्रा के संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी और प्राधिकरण की अगली बैठक में, प्राधिकरण को स्टेटस रिपोर्ट/की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा।

मद संख्या 52/2017

रोहिणी आवासीय योजना-1981 (आरआरएस-1981) के पात्रता मानंदड में छूट

एफ.पीए/डीडी/आरओ/पॉलिसी-2010

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिविप्रा (विकसित नजूल भूमि के निपटान) नियम 1981 के नियम 45(2)(बी) के अंतर्गत छूट देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल भेजा जाए।

मद सं. 53/2017

सार्वजनिक नीलामी /ई-निविदा के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) की संपत्तियों (भूमि/दुकानों आदि) की बिक्री/आबंटन के लिए आरक्षण मूल्यों के निर्धारण के लिए पॉलिसी की समीक्षा

एफ.1(114)17/एलडी/कॉर्डिनेशन

विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए गुणन घटकों में निम्नलिखित सुधारों के साथ एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव अनुमोदित हुआ:-

उपयोग	आवासीय	सार्वजनिक	सार्वजनिक	औद्यौगिक	व्यावसायिक
		प्रयोजन जैसे- सरकारी स्कूल, अस्पताल, इत्यादि	उपयोग जैसे प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, अस्तपताल		
घटक	1	1	1.5	1.5	2

<u>मद संख्या 54/2017</u>

कठपुतली कॉलोनी के आबादकार को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आबंटन हेतु एजेंडा नं. 33/2017 दिनांक 20.07.2017 द्वारा प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित जी-2 और जी-8 ब्लॉक, नरेला के स्थान पर सेक्टर जी-7/जी-8 नरेला में पॉकेट 4 और 5 के रूप में फ्लैटों की संख्या और सेक्टर में संशोधन।

एफ.केपीसी/11/डीडीए/2017/पार्ट फाइल

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव स्वीकृत की गई।

<u>मद संख्या 55/2017</u>

ब्लॉक बीजी बीएच एवं बीजे शालीमार बाग के जे जे क्लस्टरों का पुनर्वास।

एफ.12(385)06/एचसी/लीगल/पार्ट

एजेंडा मद के पैरा नं. 5 के क्रम संख्या (1) एवं (3) में निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। फ्लैट की कीमत के संबंध मं, यह निर्णय लिया गया कि रखरखाव लागत और प्रशासनिक/विभागीय प्रभारों को घटाकर दिविप्रा द्वारा आकलित लागत अथवा डीयूएसआईबी द्वारा यथा सूचित लागत, इनमें से जो भी कम हो, को जेजे निवासियों से लिया जाएगा।

<u>मद सं. 56/2017</u>

मध्य प्रदेश सरकार को इसके राज्य अतिथि गृह के निर्माण हेतु जीसस एण्ड मेरी मार्ग और डॉ0 राधाकृष्णन मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के टी-जंक्शन पर आबंटित 1.47 एकड़ (5982.96 वर्ग मी.) माप के प्लॉट सं. 29-सी एवं 29-डी के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के अनुसार आवासीय भूमि उपयोग में राज्य अतिथि गृह की अनुमेयता ।

एफ. 20(09)2017/एम पी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

<u>मद सं. 57/2017</u>

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रोहिणी फेज IV एवं V के संबंध में पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण ।

एफ. 4(50)2016/ए ओ (पी)/डीडीए

एजेंडा मद को वापिस लिया गया ।

<u>मद सं. 58/2017</u>

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टीकरी कला के संबंध में पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण ।

एफ. 4(52)2016/ए ओ (पी)/डीडीए

एजेंडा मद को वापिस लिया गया ।

<u>मद सं.59/2017</u>

(i) **वर्ष 2017-18 के लिए व्यावसायिक एवं औधेगिक संपत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कन्वर्जन प्रभारों की गणना के उद्देश्य हेतु दरों का निर्धारण ।**

(ii) **वर्ष 2017-18 के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग के अन्तर्गत क्षेत्र के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कन्वर्जन प्रभारों की गणना के उद्देश्य हेतु भूमि दरों का निर्धारण ।**

एफ. 2(34)/99/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट

एजेंडा मद को वापिस लिया गया ।

<u>मद सं. 60/2017</u>

फ्लैटों की मानक लागत के लिए 1 अप्रैल,2017 से 30 सितम्बर,2017 तक प्रभावी निर्माण के लिए प्लिंथ क्षेत्र दर (पीएआर) का निर्धारण ।

एफ. 21(1671)/2001(एचएसी) पार्ट III

एजेंडा मद को वापिस लिया गया ।

मद सं. 61/2017

अनुशासनिक प्राधिकारी की अनुसूचीमें संशोधन-दिनांक 2.3.2015 के जी.एस.आर 181(ई) द्वारा अधिसूचित दि.वि.प्रा. (आचरण, अनुशासनात्मकएवं अपील) संशोधन विनियम, 2014 के साथ पठित दि.वि.प्रा. (आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील) विनियम 1999 को विनियम 3(घ) की अनुसूची ।

एफ.4(4)2017/पीएण्ड सी(पी)

एजेंड मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद सं. 62/2017

40 वर्ष और उससे अधिक के दि.वि.प्रा. के समूह 'क'अधिकारियों हेतु वार्षिक चिकित्सा जांच शुरू करना ।

एफ.4(3)2017/पीएण्ड सी(पी)

एजेंड मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद सं. 63/2017

मल्टी टास्किंग स्टाफ , दिल्ली विकास प्राधिकरण के पद हेतु भर्ती नियमों का अंगीकरण ।
एफ. 1(मिस्ले.)/02/आर.आर/2014

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित अवलोकनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु मसौदा भर्ती विनियमों के पैरा-8 से 'यूनिवर्सिटी' हटाया जाए ।

मद सं. 64/2017

निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (अब कनिष्ठ सचिवालयी सहायक) (अंग्रेजी-हिंदी), दिल्ली विकास प्राधिकरण के पद हेतु भर्ती विनियम ।

एफ.7(मिस्ले.)2017/पीबी-III/आर.आर/एलडीसी(एमटीएस)

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

<u>मद सं. 65/2017</u>

एस.ओ.1053 (ई) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 के अन्तर्गत अधिसूचित यूबीबीएल 2016 में उप-खण्ड 2.10 के प्रस्तावित संशोधन ।

एफ.15(06)2016/एम.पी./पार्ट

एजेंडा मद में प्रस्तावित प्रस्ताव के पैरा-3 टेबल (i) में निम्नलिखित टंकण संबंधी अशुद्धि संसूचित की गई :-

i) 2.11 लेटेन्ट डिफैक्ट्स लाएविल्टी'' को 2.10 लेटेन्ट डिफैक्ट्स लाएविल्टी'' के रूप में पढ़ा जाए ।

ii) ''सी)'', ''v'' ''vi'' ''vii'' ''viii'' और डी)''को क्रमश: ''क)'', ''i'' ''ii'' ''iii'' ''iv'' और ख)'' पढ़ा जाए ।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को उक्त संशोधनों सहित अनुमोदित किया गया । मामले को तत्काल दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अन्तर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाएगा ।

<u>मद सं. 66/2017</u>

दि.वि.प्रा. में "कम्प्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिविजन सपोर्ट (सीएमएस)" और "ऑन-लाइन पब्लिक सर्विसिज (शिकायत निपटान सहित)" के विकास और रख-रखाव हेतु एजेंसी का चयन ।

एजेंड मद में शामिल प्रस्ताव को सूचनार्थ नोट किया गया ।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे :

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने निम्नलिखित मद्दे उठाए :-
   (क) दि.वि.प्रा. धार्मिक उद्देश्यों हेतु प्लाटों के आबंटन की नीति की तैयारी में तेजी लाए ।
   (ख) दि.वि.प्रा. मुम्बई में लागू स्लम पुनर्स्थापन/पुर्नवास नीति की जांच कर सकता है जिसमें पात्र व्यक्ति स्लम पुनर्वास स्कीमों में तेजी लाने के लिए निर्माणावधि के लिए किराया मिलता है ।
   (ग) दि.वि.प्रा. कार्मिक मामलों में डीओपीटी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।

(घ) पार्कों के रखरखाव हेतु नियुक्त आउटसोर्स मैन पावर का शोषण होता है और गंदी श्रमिक कालोनियों में रहना पड़ता है ।

(ङ) दि.वि.प्रा. अधिकारी, अधिकतर वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृति की वजह से मुख्य अभियंताओं की श्रेणी की पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है । इन पदों हेतु अस्थायी व्यवस्था करने के लिए एक नीति अपेक्षित है ताकि दि.वि.प्रा. कर्मचारी हतोत्साहित ना हो ।

(च) यद्यपि दि.वि.प्रा. सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करता है तथापि, उनका रख-रखाव बहुत खराब है । इस मामले को श्री सोमनाथ भारती और श्रीमती वीना बिरमानी ने भी उठाया था ।

(छ) यद्यपि तल-वार नियमितीकरण के साथ-साथ प्लाटों के समामेलन को अनुमोदित किया गया था, तथापि उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है ।

2. श्री सोमनाथ भारती ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :-

(क) दि.वि.प्रा. को गौतम नगर के निवासियों को सामुदायिक सेवा हेतु 4 एकड़ भूमि का आबंटन अपेक्षित है ।

(ख) शारदा पार्क के एक छोटे से भाग का प्रयोग नियमित ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक सड़क के रूप में किया जाए और यूटीपैक की अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ।

(ग) दि.वि.प्रा. ने दिल्ली न्यायालय में हौज खास गांव के खसरा नं. 277 से संबंधित चार विक्रय विलेखों को चुनौती नहीं दी है ।

(घ) दि.वि.प्रा. द्वारा नियुक्त संविदात्मक कामगारों का शोषण हो रहा है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती । मूल नियोक्ता के रूप में दि.वि.प्रा. को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए ।

(ङ) विगत दो वर्षों से दि.वि.प्रा. के पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि जारी नहीं की गई । इस मामले को प्राधिकरण के अन्य सदस्यों द्वारा भी उठाया गया ।

(च) दि.वि.प्रा. को पार्कों और शौचालयों के समुचित रख-रखाव के लिए एक मानदंड तैयार करना चाहिए ।

(छ) प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मद्दों की अनुपालना होनी चाहिए और स्थिति के बारे में सूचना दी जानी चाहिए ।

(ज) रोज गार्डन, हौज खास के आगन्तुकों को बंदरों और आवारा कुत्तों से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए ।

3. श्री ओ.पी. शर्मा ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :-

   (क) विश्वास नगर निर्वाचन क्षेत्र में चित्रा विहार स्थित एक प्लॉट और शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य प्लॉट व्यावसायिक परिसर के लिए चिन्हित किया गया । पहला प्लॉट झुग्गी द्वारा पूर्णत: अतिक्रमित है जबकि दूसरे में भी झुग्गी कलस्टर है, फिर भी 50 प्रतिशत भूमि अभी भी खाली है । दि.वि.प्रा. को चित्रा विहार प्लॉट की मौजूदा झुग्गियों को शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र के प्लॉट में स्थानांतरित करने पर विचार करना चाहिए और चित्रा विहार प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक परिसर के विकास हेतु किया जाना चाहिए ।

   (ख) दि.वि.प्रा को विगत कुछ वर्षों के दौरान अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की एक अद्यतन सूची तैयार करनी चाहिए ।

   (ग) लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कन्वर्जन के शेष मामलों का विवरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

4. श्री एस.के.बग्गा और अन्य सदस्यों ने इच्छा जाहिर की कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के सभी मामलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और त्वरित निर्णय लेने चाहिए ।

5. श्रीमती वीना विरमानी ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :-

   (क) दि.वि.प्रा.को आर डब्ल्यू ए द्वारा पार्कों के अंगीकरण की अनुमति देनी चाहिए ।

   (ख) दि.वि.प्रा. को 3 एकड़ से कम के पार्कों को नगर निगम से वापस ले लेना चाहिए ।

6. श्रीमती भावना मलिक ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए :-

   (क) दि.वि.प्रा. के कई प्लॉट उनके वार्ड में वर्षों से खाली पड़े है । भूमि उपयोग की योजना उचित रूप से नहीं बनाई गई और 3-4 शॉपिंग सेंटर के लिए स्थल अपेक्षित नहीं है । वहां एक ऐसा विशाल प्लॉट भी है जिसे स्कूल के लिए निर्धारित किया गया है जबकि 0.5 कि.मी.के दायरे में पहले से ही एक स्कूल है उसमें भी बहुत कम छात्र आते हैं । प्लॉट को इसके बजाय बहु-स्तरीय पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

(ख) किसी एक खाली भूमि को चैरिटेबल अस्पताल के लिए आबंटित किया जा सकता है ।

(ग) मौजूदा झुग्गी कलस्टर के सामने के विशाल खाली प्लॉट का उपयोग मार्किट के लिए किया जा सकता है ।

(घ) चूंकि संजय झील के चारों और समुचित चारदीवारी नहीं है इसलिए चोरीहोना आम बात है ।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच दि.वि.प्रा. के संबंधित कर्मचारियों द्वारा की जाए और इसकी स्थिति रिपोर्ट/कृत कार्रवाई रिपोर्ट की सूचना प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।